क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपा अभियोगिण को सम्मन परिष्ठ प्राप्त के लिये एक माह से अधिक का समय हो चुका है। सम्मन अदम तामील लौटकर प्राप्त नहीं अतः तामील सम्मन जारी जाती है। सम्मन तामील के उपरान्त भी अभियोगिण हाजिर नहीं अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी को सुनी गयी। प्रा. पत्र के मद क्र. (1) में वर्णित वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का एक व हिस्सा निहित है। प्रथम दृष्टया आमाला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में दिखाई देता है। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र आधार निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर ~~उभयपक्षों~~ प्रा. पत्र के मद क्र. (2) में उल्लेखित वादग्रस्त आराजी पर उभयपक्षों को ताकीद सलाहवाद होने व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखने 26

फर्द अहकाम

1 _____

_____ बनाम _____

संख्या /वर्ष : _____ /20 _____

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली के मद अनुसार होकर दर्ज नम्बर से अग्रे उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	